

पॉलिसी: सुनवाई का दिन और समय

पॉलिसी संख्या - 66

जारी होने की तारीख - 27/12/2021

किस पर लागू है - सभी इकाइयों में सभी कर्मचारियों पर

पॉलिसी में पेजों की कुल संख्या - 1

प्रत्येक सप्ताह सोमवार को सुनवाई दिवस के रूप में माना जाएगा। सोमवार को कोई भी कर्मचारी, श्रमिक, ऑन रोल, ऑफ रोल, ठेके पर काम करने वाला या अन्य कम्पनी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति एच-आर विभाग में आकर अपनी शिकायत या परेशानी दर्ज करा सकता है। इसके लिए वे सभी एच-आर प्रमुख या एच-आर विभाग के सीनियर कार्यकारी से मिल सकते हैं।

यदि कोई कर्मचारी एच-आर विभाग के सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ बैठक कर रहा है और उन्हें लगता है कि वह संतुष्ट नहीं हैं या उन्हें उनकी संतुष्टि के अनुसार नहीं सुना गया है, तो वे सीधे एच-आर प्रमुख से भी मिल सकते हैं।

यह आशा की जाती है कि सभी विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि यह पॉलिसी उनके प्रत्येक जूनियर को पता हो। ताकि वे इस मौके का लाभ ले सकें और केवल वे ही नहीं, बल्कि कम्पनी में अधिक से अधिक लोगों को इस पॉलिसी की जानकारी हो।

एच-आर विभाग के कर्मचारियों के लिए नोट - साथी स्टाफ सदस्यों की सहायता के लिए हमेशा कम्पनी की पॉलिसी का पालन करें। कम्पनी की पॉलिसी रोजमर्रा के काम में आने वाले लगभग हर सवाल का जवाब देती हैं। साथ ही हमेशा विनम्र रहें और आने वाले सभी कर्मचारियों के मुद्दे को पूरी तरह से सुनें। यदि यह पाया जाता है कि एच-आर विभाग में कोई कर्मचारी असह्य है या किसी कर्मचारी/श्रमिक/सहयोगी की सहायता को मना करता है, तो वह जुर्माना पॉलिसी के अधीन होगा।

Ok Approved

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित



Ok Approved

प्रबंधन द्वारा स्वीकृत